5

जनाज़ा और दफन

से मुताल्लिक़ बाज़ उमूर

गुलाम मुस्तफा रज़वी

नूरी मिशन मालेगांव

नाशिर:

तहरीक निज़ामे मुस्तफा ﷺ

Book name : Janaza Aur Dafan Se Mutalliq Baaz Unoor

Language : Hindi

Author : Maulana Ghulam Mustafa Razvi Sahab (Noori Mission Malegaon)

Hijri Date : 02 Rajab 1442 H

English Date : 15 February 2021(Monday)

Publisher : Tehreek Nizam e Mustafa (India) or TNM Official

Any Query, contact us : 9675801762 & 9720315389

Read another books, visit: archive.org/details/@tehreek_nizam_e_mustafa_

Also follow us on: Facebook | Instagram | Youtube | Twitter

About Us:

All Praise is to Allah the Exalted! The revolutionary organization of Ahlus Sunnah wal Jama'ah "Tahreek Nizam e Mustafa ﷺ" is constantly working for propagating the message of Ahlus Sunnah. And every work which it does is in the light of thoughts and views of Imam Ahmad Raza. It is an organization comprising of students from schools and colleges as well as seminaries (Madaris). The main aim of our organization is to preserve the beliefs of Ahlus Sunnah and the eradication of various ill practices in the society and regarding the same time and again various articles are published by us and along with it religious gatherings are organized. It is supplication to Allah the Exalted that he through the mediation of his Prophet (peace and blessings be upon him) blesses the members of this organization with true love of Islam and keeps them firm on the creed of Ahlus Sunnah wal Jama'ah and gives them success in their goals. Ameen.

TNM OFFICIAL

इस्लाम की अकमलियत का यह पहलू ख़ास तौर पर लायक़ ए गौर है के इस में कोई एक गोशा ए हयात ऐसा नहीं जिस में रहनुमायी न हो, बल्कि बाद अज़ हयात भी एक एक पहलू का इहाता कर लिया गया है। रिश्ता ए हयात मुनक़ताअ हो जाने के बाद भी हकुक़ मुतय्यन हैं, जिनकी पास दारी की तालीम मय्यत के अक़ारिब और मुतवस्सिलीन की है, इस तहरीर में हम जनाज़ा से मुतअल्लिक़ बाज़ एहतियातें और ज़िम्मेदारियां बयान करेंगे, इंशा अल्लाह।

जल्दी का हुक्म:

जनाज़ा जब क़ब्रिस्तान ले जाने के लिए तैयार हो जाए तो देर नहीं करनी चाहिए बल्कि जल्द अज़ जल्द क़ब्रिस्तान ले जाना चाहिए , दफ़नाने में जल्दी करने का हुक्म दिया गया है, चुनाचे बुखारी शरीफ़ में है:

हज़रत अबु हुरैरा रदि अल्लाहो तआला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लाहो तआला अलैह वसल्लम से रिवायत किया के आप ने इरशाद फ़रमाया के जनाज़ा ले जाने में जल्दी करो।

जनाज़ा उठाने का सुन्नत तरीका:

जनाज़ा उठाने का सुन्नत तरीका यह है के 4 शख्स जनाज़ा इस तरह उठाएं के हर शख्स एक पाया ले, अगर सिर्फ दो शख्सों ने जनाज़ा उठाया यानी एक ने सरहाने के दोनों पाए और दूसरे ने पायंती के दोनो पाए

उठाए तो इस तरह बिला ज़रूरत उठाना मकरूह है, और अगर ज़रूरत या मजबूरी है तो हर्ज नहीं, मसलन जगह तंग है के 4 आदमी नहीं उठा सकते तो ज़रूरत की बिना पर 2 आदमी उठा सकते हैं,

कंधा देना:

कंधा देने का सुन्नत तरीका यह है के चारों पायों को कंधा दे, पहले सरहाने की तरफ़ के दाहिने पाए को कंधा दे, फ़िर पायंती के तरफ़ के दाहिने पाए को, फ़िर सरहाने की तरफ़ के बाएं पाए को, फ़िर पायंती की तरफ़ के बाएँ पाए को कंधा दे,

हदीस शरीफ़ में है के: जो जनाज़ा ले कर 40 क़दम चले उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे.... एक दूसरी हदीस शरीफ़ में है के: जो जनाज़ा के चार पायों को कंधा दे अल्लाह तआला उसकी हतमी यानी कामिल मग़फ़िरत फ़रमा देगा।

जनाज़ा ले चलने के आदाब:

1) जनाज़ा ले चलने में चारपाई यानी जनाज़े के पाए को हाथ से पकड़ कर कंधे पर रखना चाहिए, माल या सामान की तरह गरदन या पीठ पर लादना मकरूह है, इस से जनाज़े के इकराम का अंदाज़ा होता है, के मुसलमान की मय्यत एहतराम की मुस्तहिक़ है।

2) छोटा बच्चा जिस को ब आसानी गोद में उठाया जा सके ऐसे जनाज़े को एक शख्स दोनों हाथों में उठा चले और यके बाद दीगरे मय्यत को लोग हाथों हाथ लेते रहें।

3) फतावा आलम गीरी में है: जनाज़ा ले चलने में सर आगे होना चाहिए,

4) जनाज़ा मोअतदिल[दरमियानी] तेज़ी से ले चलें, इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए के मय्यत को झटका लगे,

5) अबु दाऊद शरीफ़ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदि अल्लाहो तआला अन्हु ने फ़रमाया के हम ने नबी ए अकरम सल्लाहो तआला अलैह वसल्लम से जनाज़ा के साथ चलने के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो आप ने फ़रमाया के दौड़ने से कमतर चाल हो।

6) जनाज़े के साथ चलने वालों को बेहतर है के पीछे चलें, किसी वजह से आगे चलें तो दूर हो कर चलें के साथियों में शुमार न हों।

7) अगर सवारी पर हों तो सवारी को जनाज़े से पीछे रखें, सवारी पर सवार जनाज़े के आगे चलना मना है।

8) तिरमिज़ी शरीफ़ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदि अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है के रसूल ए अकरम सल्लाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया के जनाज़ा मतबूअ है, ताबेअ नहीं। जो आगे चले जनाज़े के साथ नहीं।

9) जनाज़े के साथ औरतों का जाना फ़ितना है और मय्यत के लिए बाइस ए तकलीफ़।

10) आम तौर पर लोगों में मशहूर है के जनाज़ा आता देख कर खड़े हो जाना चाहिए, इस बाबत रिवायत भी पेश की जाती है लेकिन यह मनसूख के हुक्म में है,

मिरात उल मनाजीह शरह मिश्कात के हवाले से मौलाना अब्दुस सत्तार हमदानी लिखते हैं: अव्वलन मय्यत के लिए खड़ा हो जाने का हुक्म था या तो मय्यत की ताज़ीम के लिए या साथ चलने वाले फ़रिश्तों की या मौत की घबराहट के इज़हार के लिए लेकिन यह हुक्म बाद में मनसूख हो गया। लिहाज़ा खड़े होने से एहतराज़ होना [बचना] चाहिए।

11) जनाज़े के साथ चलने वालों को ख़ामोश रहना चाहिए, दुनिया की बातें न करें, न हँसे, ज़िक्र करना चाहे तो दिल में करे ब लिहाज़ ए ज़माना, उल्मा ने ज़िक्रे जहर [तेज़ अवाज़ से ज़िक्र करने] की इजाज़त दी है, इस लिए कलमा या बारगाह ए रिसालत में नात व दुरूद की नज़र पेश की जाती है।

12) अल्लाह का इरशाद है: जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे

एक और जगह इरशाद है: और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर के फ़लह पाओ

इस रु से अल्लाह का ज़िक्र हर हाल में मुस्तहसन है, तो जनाज़ा के साथ ज़िक्र, कलमा या दुआ व नात से मक़सूद अल्लाह का ज़िक्र है। रही बात ख़ामोश रहने की तो वह अल्लाह की याद, हश्र, मौत से मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र के लिए थी, और ज़माना ऐसा बदला के लोग ख़ामोश रह कर बजाय आख़िरत की फ़िक्र के दुनिया मे गौर करने लगे तो हिकमत के तहत अस्लाफ ने ज़बान से कम आवाज़ से ज़िक्र की इजाज़त दी

13) जनाज़ा के साथ नात बुलन्द आवाज़ से पढ़ना जायज़ है,

बाज़ बातें :

1) शौहर अपनी बीवी के जनाज़े को हाथ लगा सकता है और कंधा दे सकता है अवाम में गलत मशहूर है के शौहर कंधा नहीं दे सकता, हाँ अपनी मुर्दा बीवी के जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता।

2) जनाज़े पर फूल डाल सकते हैं, फूल तस्बीह व तहलील करते हैं इस ग़र्ज़ से डालें तो हर्ज नहीं।

3) आलमगीरी में है के: अगर जनाज़ा पड़ोसी या रिश्तेदार या किसी नेक शख़्स का है तो उस जनाज़े के साथ जाना नफ़िल नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।

4) जो शख़्स जनाज़े में शरीक हो उसे बगैर नमाज़ पढ़े वापस न होना चाहिए, और नमाज़ के बाद दफ़न से पहले औलिया ए मय्यत यानी

मय्यत के क़रीबी रिश्तेदार से इजाज़त लेकर वापस हो सकता है और दफ़न के बाद इस इजाज़त की भी ज़रूरत नही।

5) आलमगीरी में है: जनाज़ा जब तक ज़मीन पर न रखा जाए शामिल होने वालों को बैठना मकरूह है, और जनाज़ा ज़मीन पर रख देने के बाद बेज़रूरत खड़ा नहीं रहना चाहिए।

इसी में है के: जनाज़ा इस तरह रखें के मय्यत का सर या पाँव क़िब्ले की तरफ़ न हो बल्कि इस तरह आढ़ा रखें के मय्यत की दाहिनी करवट क़िब्ले की तरफ़ हो।

नमाज़ ए जनाज़ा:

नमाज़ ए जनाज़ा फ़र्ज़ ए किफ़ाया है, यानी अगर एक शख़्स ने भी पढ़ ली तो सब के ज़िम्मे से फ़र्ज़ अदा हो गया और किसी ने भी न पढ़ी तो जिस जिस शख़्स को इंतकाल की ख़बर पहुँची थी और उन्होंने नमाज़ **ए** जनाज़ा न पढ़ी वो सब गुनाहगार हुए,

एक ख़राबी यह देखी जा रही है के लोग मय्यत के साथ जाते ज़रूर हैं, बाज़ लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, कब्रिस्तान में बैठकर इधर उधर की बातों में मशग़ूल हो जाते हैं, और नमाज़ से जी चुराते हैं, यह ग़लत है मय्यत में शिरकत की और नमाज़ नहीं पढ़ी, बाज़ यह उज़्र करते हैं के हमारा गुस्ल नहीं, या वुज़ू नहीं, पहली बात तो यह के मुसलमान और नापाक?

बे गुस्ल के रहना यह इस्लामी फ़ितरत के ख़िलाफ़ है, तहारत फ़ौरन हासिल करना चाहिए, और बे वुज़ू हों तो वुज़ू बना कर नमाज़ ए जनाज़ा अदा करनी चाहिए। उम्मुल मोमेनीन हज़रत मैमुना रदि अल्लाहो तआला अन्हा से मरवी है हदीस शरीफ़ में है: जिस मुर्दे पर मुसलमानों का एक गिरोह नमाज़ पढ़े उन की शफ़ाअत उस (मय्यत) के हक़ में कुबूल होती है।

नमाज़ ए जनाज़ा में आख़री सफ़ को तमाम सफ़ों पर फ़ज़ीलत है, हदीस शरीफ़ में है: जिस जनाज़े पर तीन सफ़ों ने नमाज़ पढ़ी, उस के लिए जन्नत वाजिब हो गयी

तवज्जो तलब अमूर:

नमाज़ ए जनाज़ा में आख़री यानी चौथी तकबीर के बाद फौरन हाथ छोड़ दे फिर सलाम फेरे। बाज़ का ख्याल है के बे नमाज़ी के जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए यह ख्याल ग़लत है। हर मुसलमान के जनाज़ा की नमाज़ फ़र्ज़ ए किफ़ाया है। जिस ने खुदकुशी की है उस की भी नमाज़ ए जनाज़ा पढ़ी जाएगी और इसाले सवाब भी किया जाएगा मुर्तद जिसके अक़ायद हद्दे कुफ्र तक पहुँच चुके हो और गुस्ताख़ ए रसूल की नमाज़ ए जनाज़ा पढ़ना हराम

इरशाद ए इलाही है: और उन में से किसी की मय्यत पर कभी नमाज़ न पढ़ना और न उसकी क़ब्र पर खड़े रहना, बेशक वो अल्लाह और उसके रसूल से मुनकिर हुए और फ़िस्क में ही मर गए।

मुसलमान की क़ब्र की ताज़ीम:

आज कल मुस्लिम कब्रिस्तानों की बे हुरमती आम है, आला हज़रत अलेह रहमा से मक़ाबिर ए मुसलेमीन से मुताल्लिक सवालात हुए तो इरशाद फ़रमाया: क़ब्रों पर चलने की मुमानअत है न के जूता पहनना के सख़्त तौहीन ए अमवात ए मुस्लेमीन है हाँ जो क़दीम रास्ता क़ब्रिस्तान में हो जिस में क़ब्र नहीं उस में चलना जायज़ है, अगरचे जूता पहने हो। क़ब्रों पर घोड़े बांधना, चारपाई बिछाना, सोना बैठना सब मना है।

दूसरी जगह तहरीर फ़रमाते हैं: कुबूर ए मुसलेमीन पर चलना जायज़ नहीं। इन पर पाँव रखना जायज़ नहीं यहाँ तक के अयम्मा ने तसरीह फ़रमाई है के क़ब्रिस्तान में जो नया रास्ता पैदा हुआ हो उस में चलना हराम है, और जिन के अकरिबा ऐसी जगह दफ़न हों के उन के गिर्द क़ब्रें हो गयी हों और उसे उनकी कुबूर तक और क़ब्रों पर पाँव रखे बगैर जाना नामुमकिन हो, दूर ही से फ़तिहा पढ़े और पास न जाए। क़ब्र पर नमाज़ पढ़ना हराम, क़ब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ना हराम, और मुसलमान की

क़ब्र पर क़दम रखना हराम, क़ब्रों पर "मस्जिद बनाना" या ज़िराअत (खेती) वगैरह करना हराम।

अल्लाह तआला मय्यत के इकराम, हकूक की अदायगी और फ़िक्रे आख़िरत की तौफ़ीक़ दे। हमें अपने मरहूमीन के लिए आमाले सुआलेहा का ज़ौक़ बख़्शे, आमीन।